रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2015/ज्येष्ठ 15, 1937
No. 209] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2015/JYAISTHA 15, 1937

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

शुद्धि–पत्र

नई दिल्ली, 22 मई, 2015

संचयिका संख्या : 20-06/2014-के.प.(हिमाचल प्रदेश).—निबन्धक, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2013 तक की अवधि का भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या 179 दिनांक 13 जून 2014 में प्रकाशित भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है :-

भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या 179 दिनांक 13 जून, 2014 में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य से सम्बन्धित भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका में क्रम संख्या 188511 पर शानु शेरिया के स्थान पर शब्बू शेरिया पढ़ा जाय ।

प्रेमराज शर्मा, रजिस्ट्रार

[विज्ञापन-III/4/असा./124/15(95)]

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd May, 2015

F.No. 20-06/2014-CR (HP).—In exercise of the power conferred under sub-section(2) of Section 23 of Indian Medicine Central Council Act, 1970, the Registrar, Central Council of Indian Medicine, New Delhi

hereby further amends the Central Register of Indian Medicine pertaining to Himachal Pradesh for the period from Ist April, 2005 to 31st March, 2013 notified in the Gazette of India notification No. 179 dated June 13, 2014 as under :-

At serial No. 188511 in the Central Register of Indian Medicine pertaining to Himachal Pradesh State published in the Gazette of India Notification No. 179 dated June 13, 2014 be read as Shabbu Sheriya instead of Shanu Sheriya.

P. R. SHARMA, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./124/15(95)]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.